

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)

कमांक 54 अ-82/17-18 भू-अर्जन/64/9

बैतूल दिनांक 23/05/2018

ईशतहार

24


म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा चिचंडा लघु जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम चिचंडा प.ह.न. तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नबरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं:-

स.क.	खसरा नं.	रकबा हे. में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
1	568/1	7.591	0.200	भारत, सूरत, सूरजू व. सोमजी, सावित्री पिता सोमजी, समिया पिता जिवतू, भूरीबाई बेवा मनिराम, श्रीराम हरिराम व. मनीराम जनार्दन व. कुशन गोंड सा.देह भूमिस्वामी
2	568/2	0.365	0.365	झब्बू व. ज्ञामसिंग गोंड सा. देह भूमिस्वामी
3	550/7	1.458	0.380	नेहरू व. सुखलाल, बापूराव, भाऊराव, व. रामचंद्र, कौशल पिता रामचंद्र, लेखराम कैलाश, जगदीश, सीताराम, व. बाबूराव, निर्मला, रमला पिता बाबूराव, मंघा बेवा बाबूलाल, सुरेश व. रामप्रसाद, सैवती, सुखवती पिता रामप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी
4	548/8	0.150	0.050	गौरीशंकर व. पन्नालाल सा. देह भूमिस्वामी
5	548/9	0.600	0.050	रविशंकर व. पन्नालाल सा. देह भूमिस्वामी
6	563/9	0.600	0.600	रेखा बेवा देवीशंकर, पितम व. देवीशंकर, लता, निलम, पिता देवीशंकर पंवार सा.देह भूमिस्वामी
7	563/8	0.489	0.489	श्रीराम व. गिरधारी सा. देह भूमि स्वामी
8	563/4	0.309	0.309	श्रीराम व. शंकर, मेहरा सा.देह भूमिस्वामी
9	563/5	0.310	0.310	
10	548/5	0.362	0.312	
11	563/6	0.362	0.062	
12	563/3	0.820	0.820	रामदयाल, सुरेश, व. गिरधारी, जाति पंवार सा.देह भूमिस्वामी
13	563/2	1.469	1.469	रामदयाल, सुरेश, श्रीराम व. गिरधारी, जाति पंवार सा.देह भूमिस्वामी

स.क.	खसरा नं.	रकबा हे. में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
14	548/2	1.607	0.250	दयाराम, दशरथ, भारत, व. गिरधारी, मीराबाई पिता गिरधारी सा.देह भूमिस्वामी
15	563/1	1.259	1.259	नारायण व. गजमल, लखन, रमेश, गोकूल व. बाबू, जैवन्ती बेवा कन्हैया, गजानंद व. कन्हैया, संगीता, अंजना पिता कन्हैया, सुमन पिता बाबू सा. देह भूमि स्वामी
16	548/1	1.424	0.355	
17	566/4	1.687	0.860	अनिल व. गेंदलाल पंवार सा. देह भूमिस्वामी
18	566/2	0.741	0.500	मुन्ना, भोपत दवीकुमार व. अमर्या, बुलंका कंखा, मुन्नी चम्पा पिता अमर्या सा. देह भूमिस्वामी
19	566/3	1.180	0.680	अशोक व. गेंदलाल पंवार सा. देह भूमिस्वामी
20	566/1	2.867	1.657	आनंदराव, सुशील, सुनील व. बाजेराव बतसिया राधिका, गीता लता पिता बाजेराव पंवार सा.देह भूमिस्वामी
कुल योग			10.977	

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम चिचंडा तहसील मुलताई की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल 10.977 हे. भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23-5-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

  
(शशांक मिश्र)  
कलेक्टर  
जिला बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 54 अ-82/17-18 भू-अर्जन/64)9 बैतूल दिनांक  $\frac{23}{24}$ -05-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर एवं एक स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करे।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु । मुलताई की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चिचण्डा तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

  
कलेक्टर,  
बैतूल